रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2017/अग्रहायण 16, 1939
No. 462] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2017/AGRAHAYANA 16, 1939

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2017

सं. एन-10/13/2013-पीपीसी.- प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 (1990 की 25) की धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 9 और धारा 11 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (वरिष्ठ प्रशासनिक और संबंद्ध पदों) सेवा विनियम 2002 जहां तक यह निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड – 1 के पदों से सम्बंध रखते है और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ प्रशासनिक पद) सेवा विनियम 2002, जहां तक ये आशुलिपिक ग्रेड II, आशुलिपिक ग्रेड III, आशुलिपिक (फ्रेंच), आशुलिपिक (तेलुगु), और आशुलिपिक (तमिल), का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (i) इन विनियमों का नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आशुलिपिक पद भर्ती विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपयुक्तता :-** यह विनियम इन विनियमों के साथ लगी अनुसूचि के कॉलम (I) में विर्निदिष्ट पदों पर लागू होगें।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और पे मेट्रिक्स में लेवल:-** उक्त पद की संख्या वर्गीकरण और पे मेट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन विनियमों की संल्गन अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 12 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता: वह व्यक्ति, -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है: या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. **छूट देने की शक्ति :** जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा छूट दे सकेगा।

7. **व्यावृत्ति :-** सरकार द्वारा समय-समय पर जारी जिन आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है, उनसे संबंधित आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन विनियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण-	पे मेट्रिक्स में लेवल
1	2	3	4
1. प्रधान निजी सचिव	9* (2017) *पदों में परिवर्तन कार्य मात्रा के अधीन होगा। **टिप्पणी.-** पदों की संख्या उस ग्रेड में स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और यह किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों, और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।	ग्रुप 'ए'.	लेवल 11.

क्या चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नति के मामले में लागू होती हैं
5	6	7	8
चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा अवधि यदि कोई है	**भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत**	**पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में**	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना**
9	**10**	**11**	**12**
दो वर्ष	**पदोन्नति द्वारा.** **टिप्पणी :-** फीडर ग्रेड में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां कर्मचारियों के दो वर्गों	**पदोन्नति:** ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मेट्रिक्स में लेवल 7 में निजि सचिव/ रिपोर्टर **टिप्पणी 1.-** जहाँ कनिष्ठ कर्मियों की योग्यता और अर्हता	**विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए विचारार्थ) का गठन** 1. महानिदेशक,

	अर्थात निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी, और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा ऐसे अनुपात में भरी जाएंगी जैसा निगम अधिसूचित करे ।	सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ भी उच्च पद पर पदोन्नति के पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता/योग्यता सेवा, इन अर्हता/योग्यता सेवा की आधी से ज्यादा हो या 2 वर्ष, जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी की गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने अर्हता/योग्यता सेवा पहले ही प्राप्त कर ली है। **टिप्पणी 2.-** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन से, 1 जनवरी, 2006 से पहले अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (उस दिनांक में जब ये छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है) को आयोग की सिफारिशों पर आधारित समकक्ष ग्रेड पे और वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।	आकाशवाणी - अध्यक्ष; 2. अपर महानिदेशक (प्रशासन), दूरदर्शन - सदस्य; 3. उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी - सदस्य ।

1	2	3	4
2. निजी सचिव/ रिपोर्टर	68* (2017) *पदों में परिवर्तन कार्य मात्रा के अधीन होगा। **टिप्पणी.-** पदों की संख्या उस ग्रेड में स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और यह किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों, और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।	ग्रुप 'बी'.	लेवल 7.

5	6	7	8
चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा **टिप्पणी.-** फीडर ग्रेड में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां कर्मचारियों के दो वर्गों अर्थात निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कार्मचारी, और निगम के अधिकारी और	**पदोन्नति द्वारा:** ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित पे मैट्रिक्स के लेवल 6 में निजी सहायक / आशुलिपिक ग्रेड 1 **टिप्पणी 1.-** जहाँ कनिष्ठ कर्मियों की योग्यता और अर्हता सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ भी उच्च पद पर पदोन्नति के पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता/योग्यता सेवा, इन अर्हता/योग्यता सेवा की आधी से ज्यादा हो या 2 वर्ष, जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति के लिए परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी की गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं	**विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए विचारार्थ) का गठन:-** 1. उप महानिदेशक, (प्रशासन), आकाशवाणी - अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक (प्रशासन), दूरदर्शन - सदस्य; 3. उप निदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी - सदस्य ।

	कर्मचारी द्वारा ऐसे अनुपात में भरी जाएंगी जैसा निगम अधिसूचित करे।	जिन्होंने अर्हता/योग्यता सेवा पहले ही प्राप्त कर ली है। **टिप्पणी 2.-** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन से, 1 जनवरी, 2006 से पहले अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (उस दिनांक में जब ये छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है) को आयोग की सिफारिशों पर आधारित समकक्ष ग्रेड पे और वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। **प्रतिनियुक्ति द्वारा –** केंद्र सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों या केंद्र सरकार के अंतर्गत अधिकारी.- (i). विभाग या मूल संवर्ग में नियमित आधार पर समान पद वाले ; या (ii) विभाग या मूल संवर्ग में पॉंच साल की नियमित सेवा सहित पे मैट्रिकस में लेवल – 6 में आशुलिपिक ग्रेड – 1 **टिप्पणी 1:-** किसी अन्य विभाग या संगठन में समान नियुक्ति पर ठीक इसमें पहले अन्य गैर. संवर्ग पद सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक न हो। **टिप्पणी 2. –** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की आखिरी दिनांक से 56 वर्षों से अधिक न हो। **टिप्पणी 3. –** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से एक अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व नियमित आधार पर की गयी सेवा या छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित समकक्ष ग्रेड पे और वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, उन पदों को छोड़कर जहाँ कही भी एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतन मान के एक ही ग्रेड और एक ही ग्रेड पे और वेतन मान में विलयन कर दिया गया हो, और जहां इस लाभ को केवल एक पद के लिये दिया गया हो, जिसके लिए ग्रेड पे में और वेतन मान बिना किसी उन्नयन के समान्य रिप्लेसमेंट ग्रेड हों।	

1	2	3	4
3. वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक ग्रेड-1	650* (2017) *पदों में परिवर्तन कार्य मात्रा के अधीन होगा। **टिप्पणी**: पदों की संख्या उस ग्रेड में स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों, और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।	ग्रुप 'बी'	लेवल 6

5	6	7	8
चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा **टिप्पणी:-** फीडर ग्रेड में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां कर्मचारियों के दो वर्गों अर्थात निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी, और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा ऐसे अनुपात में भरी जाएंगी जैसा निगम अधिसूचित करे।	**पदोन्नति द्वारा:** ग्रेड में नियमित 10 सालों की सेवा के साथ पे मैट्रिक्स के लेवल- 4 में आशुलिपिक ग्रेड – II **टिप्पणी 1:-** जहाँ कनिष्ठ कर्मियों की योग्यता और अर्हता सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ भी उच्च पद पर पदोन्नति के पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता/योग्यता सेवा, इन अर्हता/योग्यता सेवा की आधी से ज्यादा हो या 2 वर्ष जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति के लिए परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी की गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने अर्हता/योग्यता सेवा पहले ही प्राप्त कर ली है। **टिप्पणी 2.-** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन से, 1 जनवरी, 2006 से पहले अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (उस दिनांक में जब ये छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है) को अयोग की सिफारिशों पर आधारित समकक्ष ग्रेड पे और वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। **प्रतिनियुक्ति द्वारा :-** केंद्र सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों या केंद्र सरकार के अंतर्गत अधिकारी जो विभाग या मूल संवर्ग में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर हों। **टिप्पणी 1.-** किसी अन्य विभाग या संगठन में समान नियुक्ति पर ठीक इससे पहले अन्य गैर-संवर्ग पद सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक न हो। **टिप्पणी 2. –** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की आखिरी दिनांक से 56 वर्षों से अधिक न हो। **टिप्पणी 3. –** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से एक अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व नियमित आधार पर की गयी सेवा या छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित समकक्ष ग्रेड पे और वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, उन पदों को छोडकर	**विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए विचारार्थ) का गठन:-** (i) उप महानिदेशक, (प्रशासन), आकाशवाणी – अध्यक्ष (ii) निदेशक समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी- सदस्य (iii) उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी), आकाशवाणी- सदस्य

		जहाँ कहीं भी एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतन मान के एक ही ग्रेड और एक ही ग्रेड पे और वेतन मान में विलयन कर दिया गया हो, और जहां इस लाभ को केवल एक पद के लिये दिया गया हो, जिसके लिए ग्रेड पे में और वेतन मान बिना किसी उन्नयन के समान्य रिप्लेसमेंट ग्रेड हों।	

1	2	3	4
4. आशुलिपिक ग्रेड – II	314* (2017). *पदों में परिवर्तन कार्य मात्रा के अधीन होगा। **टिप्पणी:** पदों की संख्या उस ग्रेड में स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों, और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।	ग्रुप 'सी'.	लेवल 4

5	6	7	8
लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए 5 साल तक की छूट) **टिप्पणी :** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी ना कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मीजोरम, मणीपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लदृाख भाग, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का उपभाग पांगी, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्य द्वीप का संघ शासित राज्य के लिए निर्धारित अंतिम तारीख।	(1.) किसी मान्य बोर्ड से 10+ 2 उतीर्ण और (2.) दक्षता परीक्षा मानक – 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट की डिक्टेशन। प्रत्यंकन 50 मिनट (अग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी) दक्षता परीक्षा केवल कम्प्यूटर पर ही ली जायेगी।	लागू नहीं

9	10	11	12
सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्र सारकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों या केंद्र सरकार के अंतर्गत अधिकारी जो विभाग या मूल संवर्ग में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर हों। **टिप्पणी 1.-** किसी अन्य विभाग या संगठन में समान नियुक्ति पर ठीक इससे पहले अन्य गैर-संवर्ग पद सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक न हो। **टिप्पणी 2. –** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की आखिरी दिनांक से 56 वर्षों से अधिक न हो। **टिप्पणी 3. –** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से एक अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व नियमित आधार पर की गयी सेवा या छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर	**विभागीय पदोन्नति समिति(स्थायीकरण के लिए):-** 1. अपर महा निदेशक (प्रशासन), दूरदर्शन अध्यक्ष 2. उप महा निदेशक (प्रशासन) आकाशवाणी सदस्य 3. उप महानिदेशक (प्रशासन) दूरदर्शन: सदस्य:

		आधारित बिना किसी उन्नयन के समान्य रिप्लेसमेंट ग्रेड में समकक्ष ग्रेड पे और वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, उन पदों को छोडकर जहाँ कहीं भी एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतन मान के एक ही ग्रेड और एक ही ग्रेड पे और वेतन मान में विलयन कर दिया गया हो, और जहां इस लाभ को केवल एक पद के लिये दिया गया हो, जिसके लिए ग्रेड पे में और वेतन मान हों।	

दिनेश माहुर, अपर महानिदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./332/17 (163)]

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2017

No. N-10/13/2013-PPC.- In exercise of the powers conferred by section 9 and sub-section (5) of section 11 read with clause (d) of sub-section (2) of section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Senior Administrative and Allied Posts) Service Regulations, 2002, in so far as they relate to the posts of Private Secretary and Stenographer Grade-I and the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Junior Administrative and Allied Posts) Service Regulations, 2002, in so far as they relate to the posts of Stenographer Grade- II, Stenographer Grade III, Stenographer (French), Stenographer (Telugu) and Stenographer (Tamil), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Stenographer Posts Recruitment Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applicability. –** These regulations shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.** – The number of posts, their classification and Level in the Pay Matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (12) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. **Power to relax.** – Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Principal Private Secretary.	9* (2017). *Subject to variation dependent on the workload. **Note.-** The number of posts is the total number of the posts sanctioned for the grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'A'.	Level 11.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(9)	(10)	(11)	(12)
Two years.	By promotion. **Note.-** The vacancies arising in a particular year be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, in such ratio as may be notified by the Corporation.	**Promotion:** Private Secretary/ Reporter in Level 7 in the Pay Matrix with seven years regular service in the grade. **Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January,	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of**:- 1. Director General, All India Radio – Chairperson; 2. Additional Director General (Administration), Doordarshan – Member; 3. Deputy Director General (Administration), All India Radio – Member.

		2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission.	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Private Secretary/ Reporter.	68*(2017). * Subject to variation dependent on the work load. **Note.-** The number of posts is the total number of the posts sanctioned for the grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'B'.	Level 7.

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation. **Note.-** The vacancies arising in a particular year be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, in such ratio as may be notified by the Corporation.	**By Promotion:** Personal Assistant/ Stenographer Grade-I in Level 6 in the Pay Matrix with five years regular service in the grade. **Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **By Deputation:** Officers under the Central Government or Autonomous Organisations under the Central Government, - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Stenographer Grade-I in Level 6 in the Pay Matrix with five years regular service in the grade in the parent cadre or department.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of**:- 1. Deputy Director General (Administration), All India Radio – Chairman; 2. Deputy Director General (Administration), Doordarshan – Member; 3. Deputy Director (Admn.), All India Radio – Member.

		Note 1.- Period of deputation including on another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not exceed fifty-six years on the closing date of receipt of application. **Note 3.-** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of the pay into one grade with a common grade pay and pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Personal Assistant/ Stenographer Grade – I.	650*(2017). * Subject to variation dependent on the work load. **Note.-** The number of posts is the total number of the posts sanctioned for the grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'B'.	Level 6.

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)
Two years.	By promotion failing which by deputation. **Note.-** The vacancies arising in a particular year be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, in such ratio as may be notified by the Corporation.	**By Promotion:** Stenographer Grade-II in Level 4 in the Pay Matrix with ten years regular service in the grade. **Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of**:- 1. Deputy Director General (Administration), All India Radio – Chairperson; 2. Director, News Service Division, AIR – Member; 3. Deputy Director General (E), AIR – Member.

		based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **By Deputation:** Officers under the Central Government or Autonomous Organisations under Central Government, holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department. **Note 1.-** Period of deputation including in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not exceed fifty-six years on the closing date of receipt of application. **Note 3.-** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of the pay into one grade with a common grade pay and pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Stenographer Grade –II.	314* (2017). * Subject to variation dependent on the work load. **Note.-** The number of posts is the total number of the posts sanctioned for the grade and at any time it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'C'.	Level 4.

(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of Prasar Bharati up to five years) **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and	(i) 10+2 pass from any recognized Board; and (ii) Skill test norm – Dictation 10 minutes @ 80 wpm. Transcription 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi). Skill test shall only be conducted on	Not applicable.

	Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.	computers.	

(9)	(10)	(11)	(12)
Two years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation.	**Deputation**: Officers under the Central Government or autonomous bodies under the Central Government, holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department. **Note 1.-** Period of deputation including on another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not exceed fifty-six years on the closing date of receipt of application. **Note 3.-** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of the pay into one grade with a common grade pay and pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	**Departmental Promotion Committee (for consider confirmation) consisting of**:- 1. Additional Director General (Admn) Doordarshan – Chairman; 2. Deputy Director General (Admn) All India Radio –Member; 3. Deputy Director General (Admn) Doordarshan –Member.

DINESH MAHUR, Addl. Dir. General
[ADVT.- III/4/Exty./332/17 (163)]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.12.08 19:26:02 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.